

Sub:- C6 Gender school + society

Topic :- Gender difference (लिंग भेद)

समानता रुक्त सुन्दर तथा सुरक्षित समाज की पहचान नीव है, जिसपर विकास रूपी द्वारा बनाई जा सकती है। लैंगिक समानता का सीधा-ला अर्थ समाज में महिला तथा पुरुष के समान अधिकार, स्वाधिकार तथा रोजगार के अप्रतीक्षित परिप्रेक्षण में है। समाज में लैंगिक भेद सौच समझकर बनाई गई एक खाड़ी है, जिससे समानता के स्तर को प्राप्त करने का सफर बहुत आसान हो जाता है।

लैंगिक भेद का तात्पर्य लैंगिक आवारपर महिलाओं के साथ श्रेष्ठता से है। समाज में महिलाओं को कमज़ारी के रूप में देखा जाता रहा है। वे धरतया समाज ढोना चाहती हैं और शोषण, अपमान और श्रेष्ठता से पीड़ित होती हैं।
लैंगिक श्रेष्ठता के छोड़ : -

- (i) सामाजिक क्षेत्र में
- (ii) आर्थिक क्षेत्र में
- (iii) राजनीतिक क्षेत्र में
- (iv) विज्ञान के क्षेत्र में
- (v) मूनोरंजन के क्षेत्र में
- (vi) रुचि के क्षेत्र में।

सामाजिक क्षेत्र में : भारतीय समाज में प्रायः महिलाओं को घटेले कार्य के ही अनुप्रूप माना जाया है। धरममहिलाओं का मुख्य कार्य भोजन की व्यवस्था करना तथा उच्चो केलालन, पालन तक ली दी जाती है। यह में लिये जानेवाले नियमों में भी महिलाओं की कोशिशें नहीं रहती हैं।

आर्थिक क्षेत्र में : आर्थिक क्षेत्र में कार्यरत महिला और पुरुष में

पारिष्रमिक में अंतर है। इतना ही वही रोजगार के आवश्यों में भी पुष्टियों को ही प्राप्तिका की जाती है।

राजनीतिक क्षेत्र में:- सभी राजनीतिक दल लोकती विकासी होने की समानता की दृष्टि करते हैं परन्तु वे न तो उनाव में महिलाओं को प्रत्याशी के दृष्टि में दिक्कत ढेते हैं बर्ते न हो दल के प्रमुख पदों पर उनकी नियुक्ति करते हैं।

विज्ञान के क्षेत्र में:- वैज्ञानिक समुदाय में या तो महिलाओं का प्रबोध ही मुश्किल से होता है या उन्हें कम महत्व के प्रोजेक्ट में लगा दिया जाता है। यह विडेवना ही है कि हम भिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध (प्रणीत) एप्प्ल अप्प्लियूल कलाम से परिचित हैं लेकिन भिसाइल वूमेन और ईडिया टेली यामस के नाम से परिचित नहीं हैं।

मनोरंजन के क्षेत्र में:- मनोरंजन के क्षेत्र में अभिनेत्रियों होना पड़ता है। अफ्फरफिल्मो में अभिनेत्रियों को मुख्य किरण नहीं लमड़ा जाता और पारिष्रमिक भी उन्हें अभिनताओं की तुलना में कम मिलता है।

खेल के क्षेत्र में:- खेलों में मिलने वाली पुरस्कार राशि खिलाड़ियों को कम भिलती है। याहे कुछ ने यही सज्जादा है।

लैंगिक भेदभाव के कारण

लैंगिक भेदभाव आज एक समस्या के रूप में समाज में उपस्थित है। लैंगिक भेदभाव के कुछ कारण निम्न हैं:-

- (i) वंशापत्रियों का पालन
- (ii) पुरुष प्रधान समाज
- (iii) रुद्धियों (सामाजिक)
- (iv) सम्यति पर अधिकार

वंशापत्रियों का पालन:- यह लैंगिक भेदभाव का प्रमुख कारण है। परिवार में वंशापत्रियों

की कायम रखने में पुरुषों का बोलबाला रहता है। लौगों का मानना है कि वंशापुरुषों से चलता है द्विधों से नहीं।

पुरुषप्रधान समाज:- वर्तमान भारतीय समाज में पितृसत्ता-त्मक मानसिकता अंतिल रूप में व्याप्त है। इसके कारण महिलाओं को आज भी एक जिम्मेदारी समझा जाता है।

सामाजिक रुद्धियों:- महिलाओं की सामाजिक और पारिवारिक रुद्धियों के कारण विकास के कम अप्रूढ़ भिलते हैं, जिससे उनके व्यक्तिगत का ऐसा क्लियर नहीं हो पाता है। सबतीमाला और तीन तलां जैसे मुद्दों पर सामाजिक मतभेद पितृसत्ता-त्मक मानसिकता का प्रतिबिधित करता है।

समाजि का अधिकार:- भारत में आज भी व्यापक

सरकारी-वैधानिक स्तर पर सर्वोच्च-व्यायालय के आदेशानुसार संघनि पर महिलाओं का समान अधिकार है। पर पारिवारिक संघनि पर महिलाओं का

आंशिक प्रचलन में नहीं है, इसलिए उनके साथ लिंगोदली व्यापकरण किया जाता है।

आक्षण की व्यवस्था :-

राजनीतिक स्तर पर प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था को लोडफर उच्च वैष्णवक सिस्यामें महिलाओं के लिए किसी प्रकार के आक्षणीय व्यवस्था नहीं है।

शिक्षा का अभाव :- शिक्षा और मानकों पर महिलाओं की स्थिति पुरुषों की तुलना के मुजोर है। दालों के लकड़ियों के शैक्षिक नामांकन में पिछले पाँच समानता की स्थिति प्राप्त हो रही है लेकिन आमा भी उच्च शिक्षा तथा व्यापक साधारण शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं का नामांकन पुरुषों की तुलना में काफी कम है।

रोजगार की Under-Reporting :-

महिलाओं के रोजगार की Under-Reporting की जाती है अर्थात् महिलाओं का परिवार के लिए और उद्योगों पर कार्य करने की स्थिति अधिक किये जाएं अवश्यक कार्य की लकड़ियों उत्पादन में नहीं जाऊँ जाता है।

लिंगभेद के कारण सामाजिकरण की प्रक्रिया का संचालन लिंगानुसार रूप से नहीं हो पाता है। घरेलू विद्यालय, कार्यालयों पर इस प्रकार के भेदभाव से मनोविज्ञानिक असुरक्षा का भाव आ जाता है, जो सर्वांगीण विज्ञान में बाधक है।

लॉगिक भेद समाप्ति के उपाय

महिलाओं के साथ आदमानता और भ्रेफ्टभाव का व्यवहार समाज में, घर में, और घर के बाहर, विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। इसकी रोकथाम हेतु निम्न कार्य किये जारहे हैं:-
मानसिकता में बदलाव:- समाज की मानसिकता में

चीर-चीर परिवर्तन आरहा है। जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं से सबूधित मुद्दा पर्गमीत से विमर्श किया जारहा है। तीन तलाक, हाजी अली हंडुआह में प्रवृश जैसे मुद्दों पर सरकार तथा न्यायालय की सक्रियता के कारण महिलाओं को उनका अधिकार संरक्षण किया जारहा है।

महिला सशक्तिकरण का प्रयास :-

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ योजना, महिला हेल्पलाइन योजना, और महिला शक्ति-केन्द्र। जैसी योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का प्रयास किया जा रहा है। इन योजनाओं के क्रियाव्यवन के परिणामस्वरूप लिंगानुपात और लहकियों के शैक्षिक नामांकन में प्रगति दर्खी आरही है। भारतीय संविधान का समावृत्तक कदम :-

लिंग-भेद को दूर करने के लिये भारतीय संविधान ने अनेक संकायत्वक कदम उठाए हैं, जिससे संविधान की प्रत्यावधि हर किसी के लिये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्राप्त होने के सक्षयों के साथ ही अपने लभी नागरिकों के लिये स्वर भी समानता और अपवाहन करने के बारे में बात करती है। इसी क्रम में महिलाओं का भी वोट डालने का अधिकार प्राप्त है।

खड़ी सोच में बदलाएँ

विकास पुरुषों को ही नहीं

बहिक महिलाओं को भी आज की संस्कृति के अनुसार अपनी उत्तमी खड़ी सोच बदलनी होगी और जानना होगा कि वे भी इस शोषण का एक व्यवस्था का एक अंग बन गयी है और पुरुषों के खुद पर होने में सहायता कर रहे हैं।

आगामी अधियान चलाकर :-

लिंग-भेद को कम करने के लिये जीसेक्टर के साधनों के डॉक्टरों और अधिकारी विद्यालय, सार्वजनिक स्थालों पर सेक्स-विभाजन, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, चिकित्सा लियो आदि में महिला हेल्पलाइन के नम्बर अंकित करना एवं सहायता की हो स्थापना कर महिला के साथ हो रहे घोषणाएँ को कम किया जा सकता है।

शिक्षा का प्राप्तिकान :- शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का मुख्य साधन होता है। यह सामाजिक भागीदारी की प्रक्रिया को गति देता है। अधिकारिक शिक्षा नेजी से बदलती हुमें में आपश्यक कोशल डॉक्टरों विद्यालय के साथ शक्ति प्रदान करती है।

समाज के डॉक्टरों की सामाजिक लकड़ियों की समाज के लिये सबसे पहले लोगों की अपश्यकता को परिवर्तित करने की आपश्यकता है। यह हमें कहा जाता है कि डॉक्टरों विद्यालय शिक्षिक होती है तो कहने पर वार्तावार की शिक्षिक कर सकती है।